अध्याय 6: राजकोषीय संचालनों में पारदर्शिता एवं प्रकटन

एफआरबीएम अधिनियम में अपेक्षित है कि केन्द्र सरकार अपने राजकोषीय संचालनों में अधिक से अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा इस हेतु निर्धारित प्रपत्रों में प्रकटीकरण के लिए समुचित उपाय करेगी। यह अध्याय अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य प्रकटीकरण प्रपत्रों/विवरणियों में शामिल डाटा के साथ सरकारी लेखाओं में सामान्य पारदर्शिता का विश्लेषण करता है।

6.1 सरकारी लेखाओं में पारदर्शिता

एफआरबीएम अधिनियम की धारा 6(1) में प्रावधान है कि केन्द्र सरकार लोकहित में अपने वित्तीय संचालनों में अधिक से अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा तथा वार्षिक वित्तीय विवरणी एवं अनुदानों की मांग तैयार करने में, जितना व्यवहारिक हो, न्यूनतम गोपनीयता करेगा। इसके अतिरिक्त, व्यय और प्राप्ति के पहचान के सिद्धान्त बजट दस्तावेज, वित्त और विनियोग लेखाओं में सुसंगत होना अपेक्षित है। पारदर्शिता के मुद्दों से सम्बन्धित अभ्युक्तियों की चर्चा आगे के पैरों में की गई है।

6.1.1 घाटा आंकड़ों में विविधता

वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस)/ संघ सरकार वित्त लेखे (यूजीएफए) के आंकड़ों के अनुसार परिकलित तथा बजट-एक नजर (बीएजी) में प्रदर्शित राजस्व और राजकोषीय घाटों के आंकड़ों में विविधता के मुद्दे सीएजी के प्रतिवेदन में नियमित रूप से उठाए जा रहे थे। नीचे **तालिका-6.1** वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए राजस्व और राजकोषीय घाटे के संदर्भ में वार्षिक वित्तीय विवरण और बजट सार में से लिए गए आंकड़ों को प्रस्तुत करती है। वर्ष 2015-16 के लिए एफआरबीएम प्रतिवेदन में भी इस पर प्रकाश डाला गया था, परन्तु सरकार के विभिन्न लेखाओं में घाटे के विभिन्न आंकड़ों में विसंगति जारी है।

तालिका-6.1: घाटे में अंतरः 2016-17

(₹ करोड़ में)

के अनुसार वास्तविक	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय	राजस्व घाटा (आरडी)	कुल गैर-ऋण प्राप्ति	कुल व्यय	राजकोषीय घाटा (एफडी)
	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4
वार्षिक वित्तीय विवरण	16,15,988	19,33,018	3,17,030	17,04,702	22,42,501	5,37,799
बजट एक नजर	13,74,203	16,90,584	3,16,381	14,39,576	19,75,194	5,35,618
आरडी में अंतर			649	एफडी में अंतर		2,181

स्रोत: बजट 2018-19

वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के अनुच्छेद 112(1) के अनुपालन में संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय का ब्यौरा है। तथापि बीएजी में, घाटों को राजकोषीय तटस्थता/गैर-नकद लेनदेन के तर्क पर आधारित व्यय के प्रति प्राप्तियों को निवल करने के बाद परिकलित किये गये हैं। एएफएस से निवल किये गये लेनेदेनों को व्याख्या करते हुए प्राप्ति एवं व्यय बजट में समाधान विवरणियों को संलग्न किया गया है।

समाधान विवरणियों की जांच में पता चला कि राजस्व व्यय को अफ्रीका विकास निधि/एशिया विकास निधि को जारी प्रतिभूतियों के कारण ₹648.83 करोड़ से निवल किया गया था और समरूप राशि को पूंजीगत प्राप्ति के अन्तर्गत दर्ज किया गया था। चूंकि अफ्रीका विकास निधि/एशिया विकास निधि को जारी प्रतिभूतियों से सम्बन्धित लेनदेन पूंजीगत प्रकृति का था इसलिए राजस्व व्यय से इस लेन-देन को निवल करने हेतु बजट दस्तावेजों में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया था जिसका परिणाम बजट की तुलना में राजस्व घाटे में समान राशि से अंतर हुआ। इसके अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ₹1672.19 करोड़ के प्रतिभूतियों को जारी करने के कारण पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्ति में निवल किया गया था।

बीएजी में घाटों का परिकलन करते समय, सरकार द्वारा प्राप्तियों और व्यय के लेनदेन का निवल किया जाता है। चूंकि एमटीएफपी विवरणी में राजकोषीय संकेतकों के लक्ष्य बीएजी के आंकड़ों से एकीकृत किये जाते हैं, राजस्व और राजकोषीय गणना को प्रभावित करने वाले लेन-देन की कोई निवल करना, एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित घाटों की परिभाषा से असंगत है।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2018) कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि एफआरबीएम अधिनियम में दिए गए वित्तीय संकेतकों की परिभाषा में कोई भी असंगतता नहीं हो, के लिए यथोचित उपाय किए जा रहे हैं।

मंत्रालय के उत्तर पर विचार करते हुए इस पर बल दिया गया है कि एफआरबीएम अधिनियम की धारा 6(1) केन्द्र सरकार को अपने राजकोषीय संचालनों में अधिक से अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करने को अपेक्षित करती है। वर्ष-प्रतिवर्ष असंगत प्रक्रिया की निरंतरता का परिणाम बजट-एक नजर में में दर्शाये गये घाटे के आंकड़ों एवं वार्षिक वित्त विवरण/संघ सरकार वित्त लेखे से प्राप्त आंकड़ों में अंतर हुआ।

6.1.2 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के व्यय में विविधता

बजट दस्तावेज में, पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर किये गये वास्तविक व्यय के आंकड़े बजट-एक नजर में दर्शाए गए हैं और उनका

मंत्रालय-वार विवरण व्यय बजट, खण्ड-I के साथ संलग्न है। वित्त मंत्रालय के अधीन महालेखा नियंत्रक (सीजीए) द्वारा संकलित संघ सरकार वित्त लेखे में, यह आंकड़ा विवरण सं. 9 के परिशिष्ट में प्रकटीकरण विवरण के रूप में होता है। सीजीए द्वारा प्रकाशित लेखा-सार एक अन्य दस्तावेज है जो कि सरकार की संम्बधित वर्ष की वित्तीय सूचना, बृहद रूप में, प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदानों पर व्यय के वास्तविक आंकड़ों की तुलना सीजीए के द्वारा संकलित/तैयार दस्तावेजों और बजट दस्तावेजों के बीच की गई तो अन्तर पाया गया जो कि निम्न **तालिका 6.2** में वर्णित हैः

तालिका-6.2: पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर व्ययः 2016-17

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संघ सरकार वित्त लेखा/लेखा सार के अनुसार	बजट-एक नजर में/व्यय बजट, खण्ड I के अनुसार	भिन्नता
2016-17	1,66,560	1,65,733	827

स्रोत: बजट दस्तावेज, लेखा सार और संघ सरकार के वित्त लेखे

वित्त मंत्रालय, जो एफआरबीएम अधिनियम के प्रशासन हेतु उत्तरदायी है, को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिनियम के अंतर्गत एकत्रित की गयी एवं प्रकट की गयी सूचना पूर्ण, सटीक एवं मंत्रालय के विभिन्न स्कंधों द्वारा निकाले गये अन्य सरकारी दस्तावेजों के साथ संगत है।

6.1.3 देयता की राशि में भिन्नता

केन्द्र सरकार की देयताओं को दर्शाने वाली एक विवरणी प्राप्ति बजट में अनुबंध के रूप में संलग्न होती है। देयताओं का विवरण संघ सरकार के वित्तीय लेखे (यूजीएफए) के माध्यम से भी दर्शाया जाता है। नीचे **तालिका-6.3** में वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्त में सरकार की देनदारियों की स्थिति में पाई गई भिन्नता दर्शायी गई है, जैसा कि प्राप्ति बजट और यूजीएफए में दर्शाया गया है।

तालिका-6.3: देयता की राशि में अंतर-2016-17

(₹ करोड़ में)

	देयता-जैसा दर्शाया गया		भिन्नता
	प्राप्ति बजट	यूजीएफए	
लोक ऋण	59,69,968	59,69,968	-
राष्ट्रीय लघु बचत, भविष्य निधि, अन्य लेखे	12,57,994	13,11,628	53,634
आरक्षित निधि एवं जमा	2,08,099	2,08,099	-
कुल देयताएं	74,36,061	74,89,695	53,634

स्रोत : प्राप्ति बजट 2018-19 और संघ सरकार के वित्त लेखे 2016-17 की विवरणी सं. 2

यूजीएफए 2016-17 में दर्शाये गये लोकलेखा में राष्ट्रीय लघु बचतों, भविष्य निधि और अन्य खातों के सापेक्ष कुल देयताएं ₹13,11,628 करोड़ दर्शाई गई हैं, जबकि प्राप्ति बजट में, राष्ट्रीय लघु बचत, भविष्य निधि, अन्य लेखा देयताएं सकल आधार पर दिखायी गई है, जिसमें निजी निधि प्रबंधकों के द्वारा डाकघर बीमा निधि के निवेश की राशि शामिल न होने के कारण ₹53,634 करोड़ का अंतर है।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2018) कि पैरा तथ्यात्मक है तथा देयता की राशि में भिन्नता का कारण लेखापरीक्षा पैरा में पहले से ही इंगित किया गया है।

सरकारी दस्तावेजों के दो सेटों में देयता के आंकड़ों में अंतर, एफआरबीएम नियमावली के नियम 6(1) के विरुद्ध है जो सरकार के राजकोषीय संचालन में अधिक पारदर्शिता एवं न्यूनतम गोपनीयता बनाए रखने का प्रावधान करता है।

6.2 प्रत्यक्ष कर प्राप्ति आंकड़ों में पारदर्शिता की कमी

वार्षिक वित्तीय विवरण और संघ सरकार के वित्त लेखे में, कर राजस्व की अनुमानित और वास्तविक संग्रहण, प्रतिदायों की राशि (प्रतिदायों पर ब्याज भुगतानों को शामिल कर) को लेखे में लेने के बाद दर्शाया जाता है। संघ सरकार के प्रत्यक्ष कर प्राप्ति का विश्लेषण दर्शाता है कि प्रत्येक वर्ष, संग्रहित-कर का बड़ा भाग प्रतिदाय के रूप में वापस कर दिया जाता है, जैसा कि निम्न **तालिका 6.4** में वर्णित है:

तालिका 6.4: प्रत्यक्ष कर का संग्रहण और प्रतिदाय

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	प्रत्यक्ष कर संग्रहण* (1)	# प्रतिदाय (2)	कुल प्रत्यक्ष कर संग्रहण (3=1+2)	प्रत्यक्ष कर संग्रहण से की प्रतिशतता (2/3)
2012-13	5,58,989	90,432	6,49,421	13.93
2013-14	6,38,596	95,658	7,34,254	13.03
2014-15	6,95,792	1,17,495	8,13,287	14.45
2015-16	7,42,012	1,29,482	8,71,494	14.86
2016-17	8,49,801	1,72,894	10,22,695	16.91

** स्रोतः संघ सरकार के वित्त लेखे और सीएजी का वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या-40 (प्रत्यक्ष कर)।*
 # प्रतिदायों में करों के पर लगा ब्याज भी सम्मिलित

विगत पाँच वर्षों की अवधि 2012-17 के दौरान, प्रत्यक्ष करों की प्रतिदाय में लगातार वृद्धि हुई एवं 2016-17 में प्रतिदाय कुल प्रत्यक्ष कर संग्रहण के लगभग 17 प्रतिशत था। वित्तीय वर्ष 2016-17 में, प्रतिदायों की राशि में प्रतिदायों पर ब्याज के व्यय के रूप में ₹10,312 करोड़ शामिल है। यद्यपि प्रतिदायों की राशि

काफी अधिक थी, प्रतिदायों की राशि की प्रमात्रा की कोई भी सूचना न तो वार्षिक वित्तीय विवरण में और न ही संघ सरकार के वित्त लेखों में दर्शायी गई। इस प्रकार, सरकार के लेखे, कर राजस्व संग्रहण की सूचना के संदर्भ में पारदर्शी नहीं पाए गए।

मंत्रालय ने जवाब दिया (जुलाई 2018) कि बजट के दौरान प्रचालन में प्रतिदायों के अनुमान लगाना कठिन है।

मंत्रालय का जवाब सकल कर संग्रहण और वर्ष में की गई प्रतिदायों के मामले में पारदर्शिता से सम्बन्धित लेखापरीक्षा चिंता को दूर नहीं करता है, यद्यपि खातों में निवल संग्रहणों को लिया गया है। केन्द्र सरकार वित्त खाते में या बजट दस्तावेजों में इस जानकारी का उचित प्रकटन पारदर्शिता की आवश्यकता को पूरा करेगा जैसाकि अधिनियम में परिकल्पना की गई है।

इसके अतिरिक्त यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि लोक लेखा समिति ने भी यह पाया[10] था कि मंत्रालय को पिछली प्रवृत्तियों पर आधारित कर वापसियों पर ब्याज देयता पर व्यय के विस्तृत अनुमान तैयार करने चाहिए।

6.3 एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत अनिवार्य प्रकटन विवरण में पारदर्शिता

एफआरबीएम अधिनियम के धारा 6 के अनुपालन में, बजट के साथ छः प्रकटन विवरण जिसके विस्तृत ब्यौरे **अनुबंध-1.1** में दिए गए है, संसद के समक्ष रखे जाते हैं। इन विवरणों की जांच से प्रकटनों में अपर्याप्तता प्रकट हुई जैसा कि आगे के पैराओं में चर्चा की गई है।

6.3.1 गैर-कर राजस्व के बकाया के प्रकटन में असंगतता

एफआरबीएम नियमावली के नियम 6 के अनुसार **फार्म डी-2** में बकाया गैर-कर राजस्व के ब्यौरे देने वाला एक विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। प्राप्ति बजट 2018-19 (अनुबंध-6) में वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्त में गैर-कर राजस्व के बकाया का विवरण दिया गया है। इस प्रकटन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्त में, गैर-कर राजस्व का बकाया ₹1,71,844 करोड़ था, जिसमें राज्य/संघ शासित सरकारों, विभागिय वाणिज्यिक उपक्रम और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से ₹42,437 करोड़ के ब्याज प्राप्तियों का बकाया की राशि भी शामिल थी।

[10] पीएसी का 66वाँ प्रतिवेदन, 15वीं लोक सभा

यह पाया गया कि राज्य/संघ शासित सरकारों और दूसरी कर्जदार संस्थाओं से बकाया ब्याज की प्राप्ति, जो कि वित्तीय वर्ष 2016-17[11] हेतु संघ सरकार के वित्त लेखे में दर्शाई गई हैं, **फार्म डी-2** में दर्शाये गए आंकड़ों से भिन्न थी, जैसा कि **तालिका 6.5** में वर्णित है।

तालिका-6.5: ब्याज बकाया के प्रकटन में असंगतता: 2016-17

(₹ करोड़ में)

कर्जदार संस्थाएं	निम्न के अनुसार ब्याज बकाया		भिन्नता
	फार्म डी-2	यूजीएफए	
राज्य/संघ शासित सरकार	6,285	2,416	3,869
सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रम	36,152	31,728	4,424

स्रोतः प्राप्ति बजट 2018-19 एवं संघ सरकार वित्त लेखा 2016-17

6.3.2 कोयला उद्ग्रहण की बकाया की गलत सूचना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (सितम्बर 2014) 204 कैप्टिव कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द कर दिया था और निकाले गए कोयला पर अतिरिक्त उद्ग्रहण लगा दी थी। यह उद्ग्रहण दो चरणों में कोयला मंत्रालय द्वारा एकत्रित की जानी थी, पहले चरण में, कोयला उत्पादन शुरू होने से 24 सितम्बर 2014 तक कोयला उद्ग्रहण 31 दिसम्बर 2014 तक या उससे पहले देय थी। दूसरे चरण में, 25 सितम्बर 2014 से 31 मार्च 2015 तक कोयला उत्पादन पर उद्ग्रहण 30 जून 2015 तक या उससे पहले देय थी।

कोयला मंत्रालय के सम्बन्ध में सूचना की जाँच के दौरान यह पाया गया कि वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कोयला मंत्रालय ने गैर-कर राजस्व की बकायों के सम्बन्ध में बजट 2018-19 के साथ प्रस्तुत समेकित विवरण को शामिल करने हेतु गलत सूचना प्रस्तुत की। विवरण **तालिका 6.6** में दिया गया है:

[11] विवरणी सं. 3

तालिका-6.6: गैर कर राजस्व का बकाया - वर्ष 2016-17

(₹ करोड़ में)

	बकाया राशि			कुल बकाया राशि
	0-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	
कोयला मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार	शून्य	144.81	3,053.87	3,198.68
फॉर्म डी-2 में कोयला मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार	3,551.36	3,512.99	3,198.43	3,198.43

मंत्रालयों/विभागों के प्रतिवेदन के आधार पर संकलित गैर-राजस्व के बकायों की समेकित विवरण, प्राप्ति बजट के अनुलग्नक-6 मे प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के बजट के हिस्से के रुप मे प्रस्तुत है।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2018) कि बजट प्रभाग सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर सूचना संकलित करता है।

वित्त मंत्रालय, एफआरबीएम अधिनियम के प्रशासन और केन्द्रीय बजट की तैयारी के लिए नोडल मंत्रालय होने के कारण, को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लाइन मंत्रालयों से प्राप्त सूचना और संसद के समक्ष प्रस्तुत की गई बजट दस्तावेजों में शामिल सूचना पूर्ण, सही एवं संगत हो।

6.3.3 सरकार द्वारा दी गई गारंटी में भिन्नता

एफआरबीएम नियमावली 2004 के नियम 6 के अनुसार, केन्द्र सरकार लोक हित मे अपने राजकोषीय संचालन में अधिक से अधिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक वित्तीय विवरणी एवं अनुदानों की मांग को प्रस्तुत करते समय **फार्म डी-3** में गारंटियों के बारे में प्रकटन करेगी।

एफआरबीएम नियम के अनुपालन में, सरकार द्वारा दिया गया गारंटी विवरण प्राप्ति बजट में प्रकाशित होता है। आंकड़े महालेखानियंत्रक कार्यालय (सीजीए) द्वारा प्रदर्शित सूचना के आधार पर होता है जैसा कि विभागों/मंत्रालयों से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा दिया गया गारंटी विवरण सीजीए कार्यालय द्वारा संकलित वित्त लेखा की विवरण सं. 4 में भी वर्णित होता है।

प्राप्ति बजट 2018-19 में प्रकाशित वर्ष 2016-17 में दिए गए गारंटी की तुलना वित्त लेखे 2016-17 के विवरणी सं. 4 से करने के दौरान ₹112 करोड़ का अंतर उन दोनों दस्तावेजों के बीच पाया गया, जैसा कि **तालिका 6.7** में वर्णित है।

तालिका-6.7: सरकार द्वारा दी गई गारंटी 2016-17

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	वित्त लेखा के अनुसार 2016-17	प्राप्ति बजट के अनुसार 2018-19	अंतर
गारंटी की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने अनुबंध किया है।	**3,78,592.16**	**3,78,704.16**	**112**

संवीक्षा करने पर यह स्पष्ट हुआ कि ₹112 करोड़ का अंतर भारी उद्योग विभाग के सम्बन्ध में ₹112 करोड़ की राशि की गारंटी के लागू होने के कारण था, जो वित्त लेखा में वर्णित नही था।

बिना स्पष्टीकरण के सरकारी दस्तावेजों के दो सेटों में प्रकाशित गारंटी विवरणी में अंतर एफआरबीएम नियमावली 2004 के नियम 6 मे उल्लिखित लोक हित में अधिकतम पारदर्शिता की भावना को कमजोर करता है।

मंत्रालय लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (जुलाई 2018) से सहमत हुआ कि प्राप्ति बजट 2017-18 के लिए भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) द्वारा दी गई दोहरी सूचना के कारण ₹112 करोड़ का अंतर था।

यह भी माना कि 2016-17 के अंत तक कुल बकाया गारंटी ₹366188.70 करोड़ है जो वित्त खाते 2016-17 में परिलक्षित जैसी ही है।

6.3.4 परिसम्पत्ति रजिस्टर में विवरणों के प्रकटन में अंतर

एफआरबीएम नियमावली के नियम 6 के अनुसार **फार्म डी-4** में सरकार के भौतिक एवं वित्तीय परिसम्पत्तियों के विवरण को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। रिपोर्टिंग वर्ष 2016-17 के अन्त में संघ सरकार की परिसम्पत्तियों का विवरण प्राप्ति बजट 2018-19 में दिया गया है। सरकार द्वारा तैयार प्रकटन के अनुसार, वर्ष 2016-17 के अन्त में परिसम्पत्तियों का कुल संचय ₹13,42,278.10 करोड़ था। परिसम्पत्ति रजिस्टर से सम्बन्धित प्रकटीकरण में निम्नलिखित असंगतियां पाई गई हैं।

6.3.4.1 विदेशी सरकारों को दिए गए ऋणों के आंकड़ों में विसंगति

प्रकटन विवरणी **फार्म डी-4** की जांच से पता चला कि ₹13,501 करोड़ की कुल राशि 2016-17 के अंत तक विदेशी सरकारों से बकाया ऋणों के रूप में दर्शाया गया है। संघ सरकार के वित्त लेखे 2016-17 में इसी प्रकार की निहित सूचना में

जिसके अनुसार ₹12,920 करोड़ की कुल राशि विदेशी सरकारों को ऋणों के रूप में बकाया थी। अतः, फार्म डी-4 विवरणी में विदेशी सरकारों से बकाया ₹581 करोड़ के ऋण को अधिक बताया गया था।

6.3.4.2 परिसंपत्तियों के अंत एवं अथशेषों के आंकड़ों में भिन्नता

प्राप्ति बजट 2017-18 और 2018-19 के साथ संलग्न **फार्म डी-4** की जांच करने पर परिसंपत्तियों के अंत एवं अथशेषों में भिन्नताएं पायी गयी जिसका विवरण **तालिका-6.8** में नीचे दिया गया है:

तालिका-6.8: परिसंपत्तियों के मूल्य में भिन्नताएं

(₹ करोड़ में)

रिपोर्टिंग वर्ष 2015-16 के अंत में कुल परिसंपत्तियां (अंतिम आंकड़े)	10,63,677.39
अगले रिपोर्टिंग वर्ष 2016-17 के प्रारंभ में कुल परिसंपत्तियां (प्रारंभिक आंकड़े)	12,41,184.58
अंतिम तथा प्रारंभिक आंकड़ों में अंतर	1,77,507.19
वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त परिसंपत्तियां	1,01,093.52
रिपोर्टिंग वर्ष 2016-17 के अंत में कुल परिसंपत्तियां (अंतिम आंकड़े)	13,42,278.10

स्रोतः वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए प्राप्ति बजट.

प्राप्ति बजट 2018-19 में, एक फुटनोट- *'पिछले रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में अंतशेष और रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में अथ शेष के बीच अंतर मुख्यतः आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (₹1,65,764 करोड़) तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (₹8,260 करोड़) द्वारा प्रतिवेदित संशोधित दरों पर भूमि की कीमत के मूल्य में वृद्धि के कारण है'* उपरोक्त अंतरों को स्पष्ट करने के लिए **फॉर्म डी-4** में अन्तर्निर्विष्ट किया गया है। तथापि यह प्रकट हुआ कि यह ₹1,74,024 करोड़ का अंतर ही स्पष्ट कर सका जबकि 2015-16 का अंत शेष एवं 2016-17 का अथ शेष परिसम्पत्ति रजिस्टर में ₹1,77,507.19 करोड़ है। ₹3,483.19 करोड़ राशि अभी भी असंबद्ध बनी हुई है।

6.3.5 एफआरबीएम अधिनियम के तहत अपेक्षित प्रकटन विवरणों को प्रस्तुत नहीं करना

एफआरबीएम नियमावली 2004 के नियम 6 के अनुसार केन्द्र सरकार लोकहित में अपने राजकोषीय संचालन में अधिकतम पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण एवं अनुदानों की मांग को प्रस्तुत करते समय फॉर्म डी1 से फॉर्म डी 6 में राजस्व एवं गैर-कर राजस्व का बकाया, गारंटी, परिसम्पत्ति वार्षिकी

परियोजनाओं पर देयता एवं पूंजी परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु अनुदानों के बारे में प्रकटन करेगी। फॉर्म डी 1 से डी 6 तक बजट के साथ प्रस्तुत प्रकटन के समेकित विवरणों, जो कि मंत्रालयों/विभागों की रिपोर्टों के आधार पर संकलित किया जाता है, को वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है।

मंत्रालय/विभाग द्वारा वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत की गई विवरणों के प्रकटन के जाँच-परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कुछ मंत्रालयों/विभागों ने वित्त मंत्रालय को इस धारणा पर कुछ प्रकटन विवरणों के सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत नहीं की कि सम्बन्धित प्रकटन विवरणी के सम्बन्ध में सूचना शून्य थी या यह उनके विभाग/मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं था। ऐसे मामलों के विवरण **अनुबंध 6.1** में दिये गये हैं।

चूंकि, प्रकटीकरण **फॉर्म डी-1** से **डी-6** की समेकित विवरणी मंत्रालयों/विभागों से वित्त मंत्रालय को प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित की जाती है और इसके बाद बजट के साथ संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और वित्त मंत्रालय के पास सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की प्रमाणिकता को सुनिश्चित करने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, **फॉर्म डी-1** से **डी-6** तक में बजट के साथ प्रस्तुत की गई सूचना की असत्यतता की संभावना को खारिज नही किया जा सकता। वित्त मंत्रालय को, इसलिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग बजट में शामिल करने के लिए समय पर **फॉर्म डी-1** से **डी-6** में शून्य सूचना दे यदि इस सम्बन्ध में सूचना शून्य हो या इससे सम्बन्धित नहीं भी हो।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2018) कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि सभी मंत्रालय/विभाग एफआरबीएम अधिनियम के तहत, प्रकटन की विवरणों हेतु सूचना प्रस्तुत करें।

6.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने बजट सार में तथा वार्षिक वित्तीय विवरणों में घाटा आंकड़ों के प्रकटन में पारदर्शिता की कमी/विसंगति पाई। संघ सरकार के वित्त लेखे तथा व्यय बजट द्वारा प्रकट पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर व्यय में अंतर था। इसके अतिरिक्त, संघ सरकार के वित्त लेखे तथा प्राप्ति बजट के माध्यम से दर्शाई गई सकल देयता स्थिति में भी अंतर थे। यद्यपि, सम्बन्धित वर्ष में संग्रहित सकल प्रत्यक्ष कर की पर्याप्त राशि को अनुवर्ती वर्षों में लौटाया गया है, फिर भी सरकार के वित्त लेखे में इसे शामिल नहीं किया है। एफआरबीएम अधिनियम के

तहत अभिकल्पित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से किए गए प्रकटन पूर्ण नहीं थे तथा संघ सरकार के वित्त लेखे में शामिल की गई संगत सूचना से अलग थे।

6.5 अनुशंसा

सरकार राजकोषीय प्रभावों वाले सभी लेन-देन के स्पष्ट प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करे तथा असंगत आंकड़े प्रस्तुत करने से बचे।

(ममता कुन्द्रा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा,
केन्द्रीय व्यय

नई दिल्ली
दिनांक: 25 जुलाई 2018

प्रतिहस्ताक्षरित

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 31 जुलाई 2018